SUMMARY TRIAL UNDER 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898

IIn the court of. **Mahendra Saini** Magistrate. **Sanawad** .Class. **First** case No.. .71 . of 2020 Complaint or report made on . **27-02-2020** Name and address of the complainant -Thana **Bedia**

Name, parentage, caste and address of accused

रामेश्वर पिता छित्तू निवासी ग्राम कातोरा थाना बैडियां

The offense complained of, and date of, its alleged commission

तुम दिनांक **27.02.2020** को **18:00** बजे स्थान **बैडियां बस स्टेण्ड के पीछे बैडियां** पर लोगों से रूपये–पैसे लेकर अंकों पर हार–जीत का दाव लगाकर सट्टे पर्चीया पर अंक लिखकर सट्टा पर्ची लिखते हुए पाये गये और मौके पर आपसे पांच सटटा अंक लिखी पर्चीया,एक लीट पेन, एवं नगदी **500**/– रूपये जप्त किये गये ।

इस प्रकार तुमने वह अपराध कारित किया जो सार्वजनिक द्युत क्रीडा अधिनियम की धारा 4–क के अंतर्गत दंडनीय अपराध होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है । क्यों न तुम्हें उक्त अपराध हेतु दण्डित किया जावे ।

The plea of the accused and his examination (if any)

आरोपी की प्ली :–

आरोप स्वीकार है ।

रामेश्वर

04.04-2020

(महेन्द्र सैनी)

The offense proved, if any, and in case under clause, (d) clause(e) clause(f) or clause(g), of sub-section(i) of Section 260 the value of the property in respect of which the offense has been committed.

GCPB-1755-DCGCPB-23-12-2001-2,00,000

// **निर्णय** //

(आज दिनांक **04.03.2020** को घोषित)

1— आरोपी **रामेश्वर पिता छितू निवासी ग्राम कातोरा थाना बैडियां** के विरूद्ध आरक्षी केंद्र बैडियां के द्वारा सार्वजनिक धूत कीड़ा अधिनियम की धारा 4—क के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

2— आरोपी पर अपराध विवरण लगाया व समझाया जाने पर उसके द्वारा स्वेच्छया अपना अपराध स्वीकार किये जाने पर उसे सार्वजनिक धूत क्रीड़ा अधिनियम की धारा 4—क के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

3— आरोपी का कृत्य लोकनीति के विरूद्ध होने से उसकी प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए उसे परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 व 4 का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । अतः आरोपी को सार्वजनिक धूत कीड़ा अधिनियम की धारा 4—क के अधीन दण्डनीय अपराध में 1000/— रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर उसे 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगताया जावे ।

4— प्रकरण में कोई जप्तशुदा मुददेमाल **नगद रूपये 500/—** राजसात किये जाकर कोषालय में जमा करायें जावे । जप्तशुदा सट्टा पर्ची, कार्बन का टुकडा, लीड—पेन मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे ।

निर्णय टंकित एवं हस्ताक्षरित कर
खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

04-04-2020

(छोटेन्द्र ...)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
...वद, जिला ... (म.प्र.)

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

04-04-2020

(छोटेन्द्र ...)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
...वद, जिला ... (म.प्र.)